मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–2304363
फोन नं0–2308501, 2307093, 2307094

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/८-847 /2011–12 — दिनाँक 31 मई, 2011

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः *मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को परिवर्तन लागत की अग्रिम धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को पका–पकाया भोजन तैयार कराकर वितरित कराया जा रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण से संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा योजनान्तर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि स्वयं सेवी संस्थाओं को अग्रिम के रूप में दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। परिवर्तन लागत की धनराशि स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को आवंटित विद्यालय में भोजन ग्रहण करने वाले वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर सत्यापित बिल अगले माह प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को अग्रिम परिवर्तन लागत की धनराशि का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में संबन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0राम मोहन राव)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

(के0राम मोहन राव)
निदेशक